# न्यायालयः जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ अरूण गर्ग
(आई.ए.एस.)

**अपील संख्या :— 317/2025**

श्री जगदीश पुत्र श्री श्योनारायण, जाति जांगिड, निवासी वार्ड नं0 11, चनाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं ( राज0 )

——अपीलान्ट

बनाम

1. ग्रामवासी चनाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं ( राज0 )
2. तहसीलदार चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं ( राज0 )

——रेस्पोडेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर0टी0 एक्ट 1955 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी ग्रामवासी चनाना बनाम जगदीश अ0धारा 251 आर0टी0एक्ट 1955, मु0नं0 4/2025 तारीख आदेश दिनांक 08.10.2025

———

उपस्थितः—

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता—अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री बाबूलाल मील, अधिवक्ता— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता— रेस्पाडेन्ट सं0 2 की ओर से।

## आदेश

दिनांकः—03.12.2025

प्रस्तुत अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 08.10.2025 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट के अनुसार निवेदन है कि अदालत मातहत द्वारा ग्रामवासी चनाना द्वारा तथाकथित प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त प्रकरण दिनांक 14.07.2025 को दर्ज कर दिनांक 08.10.2025 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के खेत ख0नं0 1060 मे से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का व भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है। प्रकरण मे व्यक्तिगत सुखाधिकार का बिन्दू अर्न्तवलित नही रहा है। तथाकथित रास्ता अस्तित्व मे नही रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली पर ग्रामवासियान चनाना द्वारा तथाकथित प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौजूद नही है। किसी व्यक्ति विशेष के सुखाधिकार प्रभावित हुये हो ऐसा कोई तथ्य रिकार्ड पर नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के खेत ख0नं0 1060 की उत्तरी सीमा से पुख्ता सडक मौजूद है। अपीलान्ट के खेत पडौसी किसी भी व्यक्ति ने तथाकथित शिकायत नही की है। ख0न0 1343/1060, 1344/1060, 1061 की उत्तरी सीमा से रास्ता मौजूद रहा है। अदालत मातहत ने तथाकथित रास्ता ख0नं0 1063 व 1062 के खातेदारों को नाजायज रूप से बिना मांग के फायदा देने के उद्देश्य से निर्णय जैर बहस पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण अस्पष्ट व विधि के विपरीत है तथाकथित प्रचलित रास्ता मौके पर अस्तित्व मे होता तो गत व हाल नक्शासीट मे रास्ते का अंकन पाया जाता जबकि वस्तुस्थिति है कि नक्शासीट मे उक्त रास्ते का अंकन नही है। खेत ख0नं0 1343/1060, 1344/1060 व 1061 मे से रास्ता चालू होना दर्ज किया गया है जबकि उपरोक्त खेतों के काश्तकारों को प्रकरण मे बिना पक्षकार बनाये अदालत मातहत ने तथाकथित फाईडिंग पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक दी है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस मे ग्रामवासियान चनाना का सुखाधिकार ( सुखाचार ) प्रभावित होना माना जबकि कानून से धारा 251 आरटीएक्ट के प्रावधान आम जनता के सुखाधिकार पर लागू नही होते। अदालत मातहत ने विधि को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने आलत मातहत के समक्ष लिखित मे बहस के वक्त यह कथन किया था कि तथाकथित कोई शिकायत रिकार्ड पर नही है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने तथाकथित प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर नही रोते हुए भी उसका अवलोकन करना निर्णय मे दर्ज किया है जिससे यह साबित होता है कि

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने विधिक प्रकिया का दुरूपयोग कर मनमर्जी से न्यायिक बेईमानी से निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत ने प्रकरण समस्त ग्रामवासियान को बतौर आवेदक दर्ज कर प्रकरण मे कार्यवाही शुरू की है। समस्त ग्रामवासियान चनाना की तरफ से प्रस्तुत तथाकथित प्रार्थना पत्र पत्रावली पर नही है। तथाकथित ग्रामवासी चनाना का नाम व वल्दियत तथा कौम दर्ज नही है। इस कारण प्रकरण मे तथाकथित ग्रामवासियान चनाना को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व तहसीलदार को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2025 को अपास्त किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की वर्ष 2001 आरबीजे पृष्ठ सं0 333, वर्ष 2011 आरआरटी पृष्ठ सं0 234, वर्ष 2002 आरबीजे पृष्ठ सं0 352 एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय की वर्ष 2016 डीएनजे पृष्ठ सं0 478 की नजीरे पेश करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है। प्रकरण मे व्यक्तिगत सुखाधिकार का बिन्दू अर्न्तवलित नही रहा है। तथाकथित रास्ता अस्तित्व मे नही रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली पर ग्रामवासियान चनाना द्वारा तथाकथित प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौजूद नही है। किसी व्यक्ति विशेष के सुखाधिकार प्रभावित हुये हो ऐसा कोई तथ्य रिकार्ड पर नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के खेत ख0नं0 1060 की उत्तरी सीमा से पुख्ता सडक मौजूद है। अपीलान्ट के खेत पडौसी किसी भी व्यक्ति ने तथाकथित शिकायत नही की है। ख0न0 1343/1060, 1344/1060, 1061 की उत्तरी सीमा से रास्ता मौजूद रहा है। अदालत मातहत ने तथाकथित रास्ता ख0नं0 1063 व 1062 के खातेदारों को नाजायज रूप से बिना मांग के फायदा देने के उद्देश्य से निर्णय जैर बहस पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण अस्पष्ट व विधि के विपरीत है तथाकथित प्रचलित रास्ता मौके पर अस्तित्व मे होता तो गत व हाल नक्शासीट मे रास्ते का अंकन पाया जाता जबकि वस्तुस्थिति है कि नक्शासीट मे उक्त रास्ते का अंकन नही है। खेत ख0नं0 1343/1060, 1344/1060 व 1061 मे से रास्ता चालू होना दर्ज किया गया है जबकि उपरोक्त खेतों के काश्तकारों को प्रकरण मे बिना पक्षकार बनाये अदालत मातहत ने तथाकथित फाईडिंग पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक दी है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस मे ग्रामवासियान चनाना का सुखाधिकार ( सुखाचार ) प्रभावित होना माना जबकि कानून से धारा 251 आरटीएक्ट के प्रावधान आम जनता के सुखाधिकार पर लागू नही होते। अदालत मातहत ने विधि को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने आलत मातहत के समक्ष लिखित मे बहस के वक्त यह कथन किया था कि तथाकथित कोई शिकायत रिकार्ड पर नही है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने तथाकथित प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर नही रोते हुए भी उसका अवलोकन करना निर्णय मे दर्ज किया है जिससे यह साबित होता है कि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने विधिक प्रकिया का दुरूपयोग कर मनमर्जी से न्यायिक बेईमानी से निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत ने प्रकरण समस्त ग्रामवासियान को बतौर आवेदक दर्ज कर प्रकरण मे कार्यवाही शुरू की है। समस्त ग्रामवासियान चनाना की तरफ से प्रस्तुत तथाकथित प्रार्थना पत्र पत्रावली पर नही है। तथाकथित ग्रामवासी चनाना का नाम व वल्दियत तथा कौम दर्ज नही है। इस कारण प्रकरण मे तथाकथित ग्रामवासियान चनाना को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व तहसीलदार को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पक्षकार बनाया गया है। आम रास्ते को खुलवाने के लिए सिविल न्यायालय ही सक्षम है। अपीलान्ट के खेत के बी बिन्दू तक सडक है। सींव के सहारे–सहारे यदि रेस्पोडेन्ट को रास्ता दिया जाता है तो अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही है। अदालत मातहत ने धारा 251 के प्रावधानों की पालना नही की है। अदालत मातहत नया रास्ता कायम नही कर सकती है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2025 को अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पहला प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2025 को श्रीमान् कलक्टर महोदय को पेश किया है। दूसरा प्रार्थना पत्र तहसीलदार चिडावा को दिनांक 13.08.2025 को पेश किया है। रास्ता मौका पर फर्द बनाकर खोला गया है। खोला गया रास्ता कदीमी रास्ता है। ख0न0 1062, 1063 के आगे 7–8 ढाणिया है जिनके लिए यही एकमात्र रास्ता है। ख0न0

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

1343/1060 व 1344/1060 वाले खातेदार न्यायालय मे नही आये है। सडक गलत डाली गई है जिस पर भी स्थगन आदेश प्रभावी है। स्कूल आने–जाने के लिए बच्चों को परेशानी हो रही है। दिनांक 04.11.2025 को दुबारा रास्ता खुलवाया गया है। अदालत मातहत ने आदेश दिनांक 08.20.2025 विधिवत् रूप से पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट ने अपील निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा प्रचलित रास्ते को खुलवाा गया है। अपीलान्ट द्वारा रास्ता बन्द कर दिये जाने के कारण अपीलान्ट को पाबन्द किया गया था। अदालत मातहत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट ने अपील निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभय पक्षकारान पर बगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 08.10.2025 का भी अवलोकन किया। अपीलान्ट का प्रकरण में अहम तर्क यह रहा है कि धारा 251 व्यक्तिगत सुखाधिकार के लिए है न कि आमजन के सुखाधिकार के लिए। दूसरी ओर अपीलान्ट के खेत के बीच मे से रास्ता होने के आधार स्पष्ट नही है। प्रकरण मे विवादित रास्ते की स्थिति स्पष्ट नही होने से हम अपील को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 08.10.2025 खारीज किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार चिडावा को रिमाण्ड किया जाता कि अदालत मातहत पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। मिसल मातहत अदालत मय आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ0 अरूण गर्ग )
जिला कलक्टर झुंझुनूं